

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष न.:0141-2711978, 2711938


क्रमांक :- प.106/नि.अ.मा.वि./नव.रा.छात्रा./पद सृजन/2016-17/पार्ट/17734

जयपुर, दिनांक: 28/01/2020

आदेश

बजट घोषणा 2019-20 के पैरा सं. 115 "अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिला अलवर में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा" की पालना में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास रामगढ़ (अलवर) के संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति प्रशासनिक विभाग की आई.डी. संख्या 44 दिनांक 28.01.2020 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।



(कैलाश बेरवा)
निदेशक

जयपुर, दिनांक: 28/01/2020

क्रमांक :- प.106/नि.अ.मा.वि./नव.रा.छात्रा./पद सृजन/2016-17/पार्ट/17735-48

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. जिला कलेक्टर, अलवर।
10. कोषाधिकारी, अलवर।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
12. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अलवर को पत्रांक 2605 दिनांक 23.01.2020 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि जिला स्तरीय प्रवेश कमेटी द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार छात्राओं को प्रवेशित कर राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, रामगढ़ (अलवर) का संचालन शीघ्र प्रारम्भ करें।
13. सूचना सहायक को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।


(डा. एम.ए.खान)
उप निदेशक (पीएमजेवीके)